कमि. रीवा संभाग, रीवा म.प्र. R5043-10

R3-257

नगरानी प्रकरण क्रमांक -----/

1- फुलवसुआ बेवा पत्नी स्व0 बैजनाथ नाई उम्र 45 साल साकिन अधियारखोह तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

2- परेमिया नाई पत्नी हेमराज नाई पुत्री बैजनाथ नाई निवासी ग्राम बंजारी तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

3- लल्लू सेन पत्नी रामखेलावन सेन पुत्री बैजनाथ सेन उम्र 40 साल साकिन कुढ़िया तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

4- गीता पत्नी जग्धलाल सेन पुत्री बैजनाथ सेन साकिन नौढ़िया तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

5- सुरेश सेन पिता बैजनाथ सेन निवासी ग्राम अधियारखोह तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 -------- निगरानीकर्तागण

बनाम,

1- भीमसेन तनय रामेश्वर कोरी निवासी ग्राम अधियारखोह तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 उम्र 60 साल ---- उत्तरवादी/ अपी0

2- मु0 शकुन्तलादेवी बेवा पत्नी दल प्रताप सिंह उम्र 50 साल साकिन अधियारखोह तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

3- जीतेन्द्र सिंह तनय दल प्रताप सिंह चौहान उम्र 25 साल साकिन अधियार(खोह) तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 -------- अनावेदक/उत्तरवा(दी)

श्री. [signature] द्वारा आज दिनांक 28-1-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर कले(क्टर) महोदय सीधी जिला सीधी म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्र(मांक) 421/निगरानी/ 2011-12 में पारित आदेश दिना(ंक) 28-12-15,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता 195(9)

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 5083–दो/16 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.6.16	आवेदकगण के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश पाण्डेय उपस्थित होकर अपर कलेक्टर सीधी के प्रकरण कमांक 421/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28.12.15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण संक्षिप्त तथ्य यह है कि निगरानीकर्ता भीमसेन तनय रामेश्वर कोरी निवासी ग्राम अधियारखोह तहसील गोपदबनास जिला सीधी द्वारा नायब तहसीलदार गिर्द–2 तहसील गोपदबनास केस प्रकरण कमांक 12/अ–5/84–85 में पारित आदेश दिनांक 28.9.84 व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के प्रकरण कमांक 97/अपील/09–10 पारित आदेश दिनांक 13.7.11द्वारा निगरानी स्वीकार की जिससे दुखित होकर यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 28.12.15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका कमांक–1 के पति एवं अन्य आवेदिकागणों के पिता स्व0 बैजनाथ नाई के स्वत्व की भूमि सर्वे न0 26/3 के नक्शा तर्मीम के आदेश दिनांक 29.8.84 को चुनौती	

क्रमशः

देते हुये अनावेक क्रमांक 1 भीमसेने ने विद्वान अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास की न्यायालय से लगभग 25 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत किया और अपील के साथ धारा-5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया। उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास ने दिनांक 13.7.11 को यह आदेश पारित किया कि इस आदेश के विरूद्व अपील प्रचलन योग्य नहीं है अरौर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.7.11 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई।

4- आवेदक अधिवक्ता के तर्क मेरे द्वारा श्रवण किये गये, उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया ।

5- अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 13.7.11 को अपील इस आधार पर निरस्त की गयी है कि नक्शा तर्मीम आदेश के विरूद्व निगरानी का प्रावधान है, जिससे निगरानीकर्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण की मांग किये जाने पर नायब तहसीलदार गिर्द-2 गोपदबनास द्वारा पत्र दिनांक 11.12.15 द्वारा अवगतकराया गया है कि दायरा पंजी 1984-85 में प्रकरण क्रमांक 12/अ-5/ दर्ज होना नही पाया जाता है । न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर एवं समय दिया गया। लेकिन उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। उपरोक्त प्रकरण का सही वर्ष क्या है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि तथा कथित प्रकरण क्रमांक फर्जी प्रकरण क्रमांक है जो दायरा पंजी में दर्ज ही नहीं है, जिसके आधार पर कराई गई नक्शा तर्मीम की कार्यवाही फर्जी है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है । प्रस्तुत आवेदक की निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य